[ब]ज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

26/225 शेषकरण / रामधन

| हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए |
|---|---|
| 2026/16 श्री पुखराज जी। श्री पदमपुरी गोस्वामी 1,2 | |

शेषकरण बनाम् रामधन वगैरह (2026/16)

[19.2].26 पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक श्री सीताराम रावत ने रेस्पोडेन्ट संख्या 12 से 14 की ओर से अंडरटेकिंग दी। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 16.03.2026 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

16.3.26 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 19.02.2026 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बावत निवेदन किया कि दावाकृत भूमि बाबत अप्रार्थी संख्या 01 से 10 के पूर्वज तेजा पुत्र जवाना बलाई द्वारा वर्ष 1960 में जमीन निगरानीकृता के पिता गंगाधर की होने बावत लिखा गया जिस पर वर्ष 1960 से निगरानीकर्ता का कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है का बेदखल का वाद 12 वर्ष की मियाद होने से भी विधि द्वारा वर्जित था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी बिन्दु को नजअंदाज कर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थी का अधिकार कब्जे काश्त में चला आ रहा है विपक्षी का वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक एवं अधिकार नहीं है। यह कि विपक्षी वादग्रस्त आदेश की आड में प्रार्थी के कब्जे काश्त में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करने को आमादा है। यह कि प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन एवं अपारक्षति का तथ्य प्रार्थी के पक्ष में है। अतः उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2026 ताफैसला अपील स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र स्थगन निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनकर अंतरिम निषेधाज्ञा जवाब पेश होने तक जारी की गई है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष किसी भी प्रकार का कोई जवाब पेश नहीं किया गया है तथा सीधे ही अपील प्रस्तुत की गई है जो कानूनी रूप से चलने योग्य नहीं है। रेस्पोडेन्ट रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर मय स्थगन खारिज की जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया जिस पर अपीलांट/रेस्पोडेन्ट संख्या 4 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 की बहस सुनी जाकर अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का जवाब पेश नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से जो उज्र उठाये गये है वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब के साथ प्रस्तुत कर विधिक रूप से उपचार प्राप्त कर सकते है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

---- लगातार

# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अज

| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर |
| --- | --- |
| पेशी | श्री मुकेश जैन श्री गणपति गोस्वामी 1,2 |

न्यायालय में कोई जवाब पेश नहीं किया गया है एवं सीधे ही अपील प्रस्तुत की है।

अतः न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर बिना गुणावगुण पर टिप्पणी किये निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

**न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय,अजमेर (राज.)**

–00–

अपील संख्या ....16..... / 2026 जिला अजमेर

–00– 2026/16

शेषकरण पुत्र गंगाधर आयु 35 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेर (राज.)

अपीलार्थीगण / अप्रार्थीगण

**बनाम**

1. रामधन पुत्र उगमा
2. सांवरा पुत्र उगमा
3. गोपाल पुत्र उगमा
4. पारसी पुत्री उगमा
5. मन्जू पत्नि गोकुल
6. मंगला पुत्र सूरा
7. संतोक पुत्री तेजा
8. प्रभू पुत्र हगामी
9. नन्दलाल पुत्र किशनी
10. जगदीश पुत्र किशनी समस्त जातिगण बलाई निवासी ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेर (राज.)
11. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर

रेस्पोडेन्टगण

12. मुरलीधर पुत्र बंशी उर्फ बंशीधर आयु 70 वर्ष
13. श्रीमती चन्द्रकान्ता पत्नि स्व. श्री गंगाधर आयु 68 वर्ष
14. रणजीत पुत्र गंगाधर आयु 50 वर्ष समस्त जातिगण ब्राहमण निवासी ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेर (राज.)

परफोर्मा रेस्पोडेन्टगण

Scanned with CamScanner